UPJS010040832026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनु.जाति और अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम,झांसी।

उपस्थिति–नेत्रपाल सिंह (एच०जे०एस०)
(JO CODE–UP6348)
निर्णय का दिनाँक–06.08.2026
फौजदारी रिवीजन संख्या–163/2026

विजय कुमार सरावगी पुत्र स्व. श्री दामोदर दास सरावगी, निवासी मकान संख्या 1506/1–सी, जानकीपुरम, सिविल लाइन, झांसी (उत्तर प्रदेश)।

––––––निगरानीकर्ता

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जनपद झांसी।
2. डॉ. आर. आर. सिंह पुत्र श्री नारायण दास निरंजन
3. डॉ. संगीता सिंह पत्नी डॉ. आर.आर. सिंह

2 व 3 निवासीगण– मेडिकल गेट नं०–2 के सामने (राघवेन्द्र हॉस्पिटल), झांसी।

–––––––प्रत्यर्थीगण

निर्णय

1. प्रस्तुत फौजदारी निगरानी निगरानीकर्ता विजय कुमार सरावगी द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाँसी द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं०–742/2026 विजय कुमार बनाम डॉ. आर. आर. सिंह आदि, अंतर्गत धारा–173 (4) बी.एन.एस.एस. थाना–नवाबाद, जिला–झाँसी में पारित आदेश दिनांकित–06.06.2026 के विरूद्ध योजित की गई है, जो निस्तारण हेतु लम्बित है।

2. प्रस्तुत निगरानी के माध्यम से निगरानीकर्ता का कथन है किः–विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, झांसी द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या 742/2026 विजय कुमार सरावगी बनाम डॉ. आर.आर. सिंह आदि, अन्तर्गत धारा 173 (4) व 210 भा.ना.सु.संहिता, 2023 पुलिस थाना–नवाबाद झांसी में पारित आदेश दिनांकित 06.06.2026, जिसके द्वारा याची/पुनरीक्षणार्थी के धारा 173 (4) BNSS के प्रार्थना पत्र को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश न देकर परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया गया है, से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है। याची/पुनरीक्षणार्थी ग्राम मैरी, तहसील व जिला झांसी स्थित आराजी संख्या 92 मि. रकबा 0.416 हे. का पंजीकृत विलेखों (दिनांक 24.07.2020 एवं 19.02.2021) के माध्यम से विधिक स्वामी है, जिसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। दिनांक 27.07.2025 को जब याची/पुनरीक्षणार्थी ने उक्त भूमि की सफाई व बाउंड्रीवॉल का कार्य प्रारंभ कराया, तब विपक्षीगण 4–5 अज्ञात हथियारबंद लोगों के साथ आए। विपक्षी संख्या–3 डॉ. संगीता सिंह ने जेसीबी चालक की कनपटी पर रिवाल्वर लगा दी, गाली–गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। उपजिलाधिकारी सदर झांसी के आदेश पर गठित राजस्व टीम की पैमाइश आख्या (दिनांक 02.08.2025) में याची/पुनरीक्षणार्थी की भूमि खाली पाई गई और विपक्षी डॉ. आर.आर. सिंह द्वारा अपनी दीवार तोड़कर याची/पुनरीक्षणार्थी की भूमि पर अवैध गेट लगाना पाया गया। विपक्षीगण ने याची/पुनरीक्षणार्थी द्वारा लगाए गए स्वामित्व बोर्ड और लगभग ₹58,000/– मूल्य की निर्माण सामग्री (सीमेंट, बालू, गिट्टी आदि) दो बार (जनवरी 2026 एवं अप्रैल 2026 में) चोरी कर ली। याची/पुनरीक्षणार्थी ने आइजीआरएस पोर्टल में शिकायत की, लेकिन आइजीआरएस स्तर से कोई राहत आज दिनांक तक याची/पुनरीक्षणार्थी को प्रदान नहीं की गयी है। शिकायत संख्या 40016626001749 के ऑनलाइन स्टेटस में दिनांक 18.02.2026 को यह आख्या दी गयी है कि प्रकरण न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। याची/पुनरीक्षणार्थी ने दिनांक 25.04.2026 को थाना नवाबाद झांसी तथा दिनांक 10.05.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी को लिखित शिकायतें दी, परंतु FIR पंजीकृत नहीं की गई। याची पुनरीक्षणार्थी ने धारा 173 (4) सहपठित धारा 210 भा.ना.सु.संहिता, 2023 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, झांसी के समक्ष प्रार्थना पत्र

Digitally signed by NETRA PAL SINGH
Date: 2026.08.07 18:05:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रस्तुत किया। विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी झांसी ने दिनांक 06.06.2026 को यांत्रिक रूप से पारित आदेश द्वारा यह कहते हुए कि "मामला जमीन के विवाद से संबंधित है और वास्तविक तथ्यों को प्रार्थी स्वयं साक्ष्य देकर साबित कर सकता है, इसमें किसी पुलिस जांच की आवश्यकता नहीं है", प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया और मामले को धारा 223 BNSS के अंतर्गत बयान हेतु नियत कर दिया। विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, झांसी द्वारा दिनांक 06.06.2026 को पारित आदेश विधि, तर्क एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के प्रतिकूल है। विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, झांसी ने यह भूल की है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य (यथा– बंदूक की नोक पर जान से मारने की धमकी देना, ₹58,000/–की निर्माण सामग्री की चोरी, 4–5 हथियारबंद लोगों द्वारा गैर–कानूनी जमावड़ा करना) प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 303(2), 351(2) व 351(3), 296, 126(2), 324(4) व 329, 189 व 190, 3 (5) आदि के तहत गंभीर संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं। विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, झांसी का यह निष्कर्ष पूर्णतः त्रुटिपूर्ण और विधि–विरुद्ध है कि चूंकि पक्षकारों के मध्य भूमि का विवाद है, इसलिए इसे परिवाद में चलाया जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार, यदि सूचना से संज्ञेय अपराध का प्रकटीकरण होता है, तो प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि केवल इस आधार पर कि किसी मामले में दीवानी या संपत्ति का विवाद शामिल है, आपराधिक कार्यवाही को प्रारंभिक स्तर पर खारिज या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, यदि आरोपी के कत्य स्वतंत्र रूप से संज्ञेय आपराधिक अपराध का गठन करते हैं। न्यायालय ने त्रुटि की है कि दीवानी प्रकृति का विवाद होने मात्र से अभियुक्तों को उनके द्वारा कारित चोरी, बलवा, आपराधिक अतिचार और डराने–धमकाने जैसे आपराधिक कृत्यों के लिए आपराधिक विधि के प्रवर्तन से छूट नहीं मिल जाती। विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, झांसी ने ट्रायल–पूर्व स्तर पर ही साक्ष्य का मूल्यांकन कर लिया, जो, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मेसर्स निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य (2021) मामले में निर्णय के विरुद्ध है। प्रारंभिक स्तर पर साक्ष्य का मूल्यांकन करना विधि विरुद्ध है। प्राथमिकी के स्तर पर अपराध सिद्ध करना आवश्यक नहीं होता है। प्रस्तुत मामले में विपक्षीगण द्वारा चोरी की गई ₹58,000/– की निर्माण सामग्री और स्वामित्व बोर्ड की बरामदगी की जानी है, कृत्य में प्रयुक्त अवैध लाइसेंसी हथियारों को जब्त किया जाना है, तथा 4–5 अज्ञात हथियारबंद अभियुक्तों की शिनाख्त की जानी है। यह समस्त साक्ष्य एकत्र करना केवल पुलिस अन्वेषण के माध्यम से ही संभव है, जिसे याची/पुनरीक्षणार्थी अपने निजी स्तर पर (परिवाद प्रक्रिया में) कभी भी एकत्रित नहीं कर सकता । अतः विद्वान न्यायालय द्वारा पुलिस जांच की आवश्यकता को नकारना न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अतः विचारण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाँसी द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या 742/2026 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 06.06.2026 को निरस्त किया करते हुए प्रभारी निरीक्षक, थाना नवाबाद, झांसी को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु आदेशित किये जाने की याचना की गयी है।

3. संक्षेप में प्रस्तुत फौजदारी निगरानी से सम्बन्धित प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि:–"प्रार्थी ग्राम मेरी, तहसील व जिला झांसी स्थित आराजी सं० 92 मि. का विधिक स्वामी है। उक्त भूमि प्रार्थी ने क्रय की थी जिसका राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण प्रार्थी के पक्ष में हो चुका है और खतौनी में नाम दर्ज है। उक्त भूमि की सफाई हेतु प्रार्थी ने जे.सी.बी. मशीन भेजी तो विपक्षीगण द्वारा हथियारबंद होकर प्रार्थी के साथ गाली गलौज की तथा जान से मारने की धमकी दी। उपजिलाधिकारी सदर, झांसी के आदेशानुसार भूमि की पैमाइश की गयी तो ज्ञात हुआ कि विपक्षी डॉ. आर. आर. सिंह ने अपनी बाउन्ड्रीवाल तोड़कर अवैध रूप से प्रार्थी की भूमि में गेट लगा कर प्रार्थी की भूमि पर कब्जा कर लिया है। प्रार्थी द्वारा निर्माण के लिए लायी गयी सामग्री भी विपक्षीगण द्वारा चोरी कर ली गयी। विपक्षीगण धनबल, जनबल व ऊँचे संपर्क का हवाला देकर प्रार्थी को डरा धमका रहे हैं और कार्यवाही न होने की धमकी दे रहे हैं। अतः अभियुक्तगण डॉ. आर. आर. सिंह एवं डॉ. संगीता सिंह के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत करने हेतु संबंधित थाना नवाबाद की पुलिस को आदेशित करने की याचना की गयी है।

4. निगरानी की सुनवाई हेतु विपक्षी सं० 2 व 3 को नोटिस जारी किया गया। विपक्षी सं० 2 व 3 पर नोटिस का तामीला पर्याप्त होने के बाद भी उनकी ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ है।

5. मेरे द्वारा निगरानीकर्ता विजय कुमार सवारगी के विद्वान अधिवक्ता श्री सूरज बली सिंह एडवोकेट एवं उत्तरदाता सं० 1 की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री ज्ञानस्वरूप राजपूत एडवोकेट के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

6. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झांसी के न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रथमदृष्टया संज्ञेय मामला बनता है, परन्तु फिर भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झांसी ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराने का आदेश पारित नहीं किया है, बल्कि प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। आक्षेपित आदेश विचारण न्यायालय द्वारा सरसरी में व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर सम्यक रूप से विचार किये बिना मनमाने तौर पर पारित किया गया है, जो प्रार्थनापत्र में वर्णित अपराध विपक्षीगण द्वारा कारित किया गया है, उसके संबंध में साक्ष्य परिवादी द्वारा न्यायालय में पेश किया जाना संभव नहीं है। अतः आक्षेपित आदेश को अपास्त कर विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाये कि वह प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कराकर विवेचना कराने का आदेश पारित करे।

7. विपक्षी सं० –1 उ० प्र० राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क करते हुए कहा गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। मजिस्ट्रेट को यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी मामले में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश पारित करे अथवा प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज कर स्वयं जाँच करने के लिए अग्रसर हो। निगरानीकर्ता/प्रार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में पक्षकारों के मध्य विवाद कथित तौर पर जमीन पर कब्जा करने व कब्जा बेदखली से संबंधित प्रतीत होता है। तथ्यों को विधिक सलाह के आधार पर अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर व तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत किया गया है। जाँच के दौरान विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं सभी तथ्यों के बारे में पता लगाने के उपरांत आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है। यह निगरानी पूर्णतः आधारहीन एवं बलहीन योजित की गयी है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। निरस्त की जाये।

8. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुनने एवं समस्त प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता/प्रार्थी विजय कुमार सरावगी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में प्रार्थी ने स्वयं को आराजी सं० 92 मि. जु. का विधिक स्वामी बताया है तथा विपक्षीगण द्वारा उक्त जमीन पर कब्जा करने व निर्माण हेतु लायी गयी सामग्री की चोरी करने के कथन किये गये हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में कथित तौर पर क्या क्या सामान चोरी किया गया है इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। प्रकरण वास्तव में भूमि के स्वामित्व व कब्जे से संबंधित है। विद्वान विचारण न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं को संदर्भित करते हुए निगरानीकर्ता/प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया है। मजिस्ट्रेट को यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि वह किसी प्रार्थनापत्र 173(4) बी.एन.एस.एस. पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराने का आदेश पारित करे अथवा परिवाद के रूप में दर्ज कर स्वयं ही जाँच करने के लिए अग्रसारित हो। मजिस्ट्रेट प्रत्येक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. पर मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि मजिस्ट्रेट को यह विवेकाधिकार है कि वह उचित मामले में मुकदमे को परिवाद के रूप में दर्ज कर कार्यवाही अग्रसारित करे। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित कथन प्रार्थी द्वारा स्वयं को विवादित भूमि का स्वामी घोषित कराने की प्रकृति के हैं। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झांसी ने अपने न्यायिक विवेकाधिकार का उचित रूप से प्रयोग करते हुए निगरानीकर्ता/प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. को परिवाद के रूप में दर्ज करने के संबंध में आक्षेपित आदेश 06.06.2026 पारित किया है। आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

झांसी द्वारा उक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 06.06.2026 को पारित करने में किसी प्रकार की अवैधानिकता, अशुद्धता, अनौचित्य व कार्यवाही की अनियमितता नहीं की गई है। आक्षेपित आदेश दिनांक 06.06.2026 विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झांसी द्वारा अपने विवेकाधिकार का वैध एवं न्यायोचित ढंग से प्रयोग करते हुए वैध रूप से पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 06.06.2026 पुष्ट किए जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता विजय कुमार सरावगी की यह दाण्डिक निगरानी संख्या 163/2026 **निरस्त** की जाती है।

विद्वान विचारण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या 742/2026 विजय कुमार पंजाब डॉ. आर. आर. सिंह आदि में पारित **आक्षेपित आदेश दिनांक 06.06.2026 पुष्ट** किया जाता है।

इस निर्णय एवं आदेश की एक प्रति सूचनार्थ संबंधित विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाये।

दिनांक–07.08.2026

(नेत्रपाल सिंह)
विशेष न्यायाधीश
एस.सी/एस.टी एक्ट, झांसी।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–07.08.2026

(नेत्रपाल सिंह)
विशेष न्यायाधीश
एस.सी/एस.टी एक्ट, झांसी।